–:एसएमसी/एसडीएमसी रजिस्ट्रेशन हेतु मार्गदर्शनः–

ऑनलाईन प्रक्रिया हेतु आवश्यक मार्गदर्शन

ऑनलाईन आवेदन की प्रकिया

नोटः– संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अब सोसाइटियों का पंजीयन व राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी पंजीयन ऑनलाईन ही होगा।

आवेदन के प्रकार	
1.	2.
संस्था, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीयन	राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी पंजीयन
विशेष विवरण, दस्तावेजों की सूची, शुल्क का विवरण, समयसीमा व आनलाइन फॉर्म के लिये परिशिष्ट–1	***विशेष विवरण, दस्तावेजों की सूची, शुल्क का विवरण, समयसीमा व आनलाइन व फॉर्म के लिये परिशिष्ट–2***

उक्त दोनों प्रकार के आवेदनों के लिये निम्न प्रकिया है–

विशेष नोट

आवेदन करने से पूर्व ऑनलाईन बी.आर.एन. (Buisness Registration No.) प्राप्त करें। BRN No. आप http://br.raj.nic.in/ पोर्टल से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

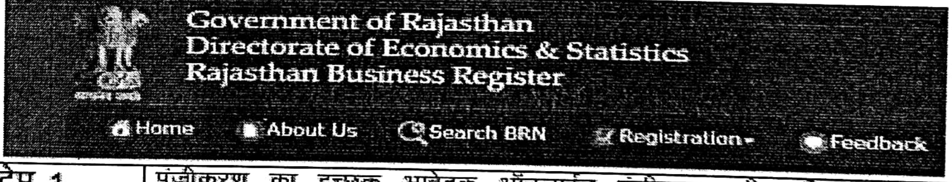

स्टेप 1	पंजीकरण का इच्छुक आवेदक ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा का लाभ निम्नानुसार तीन विभिन्न प्रकार से प्राप्त कर सकता है –
	(क) स्वयं इन्टरनेट पर द्वारा।
	(ख) ई–मित्र कियोस्क पर जाकर।
	(ग) SSO ID के माध्यम से

बीआरएन नम्बर प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाः–

- एसएसओ आईडी से लॉगईन करे।
- जी2सी ऑप्शन पर क्लिक करें। Click on Other Apps.
- बिजनेस रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। निम्न विण्डो दिखाई देगी जिसमें से No पर Click करें।

www.rajteachers.com

➢

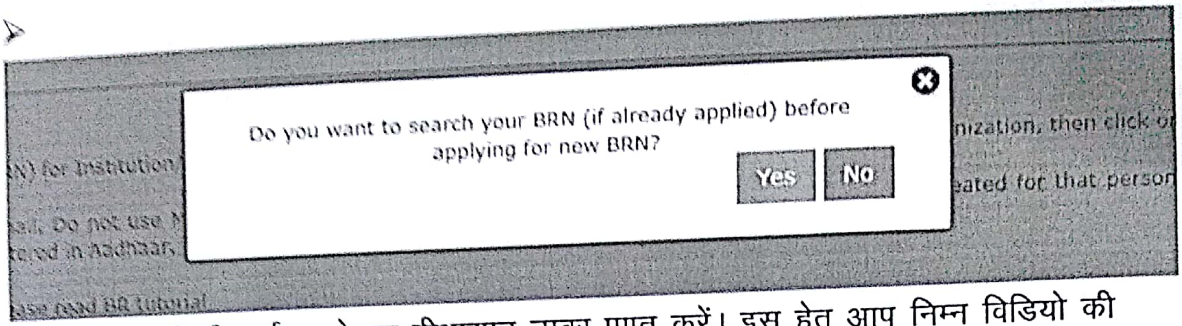

➢ आगे की प्रविष्टी पूर्ण करते हुए बीआरएन नम्बर प्राप्त करें। इस हेतु आप निम्न विडियो की सहायता ले सकते है। https://youtu.be/cckmIGk_6mc?t=267

<u>एसएमसी / एसडीएमसी रजिस्ट्रेशन करने हेतु प्रक्रियाः–</u>

➢ एसएसओ आईडी से लॉगईन करे।

➢ जी2सी ऑप्शन पर क्लिक करें। Click on Other Apps.

➢ सोसाईटी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। निम्न ऑप्शन का चयन करें।

न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958

➢ बीआरएन नम्बर भरें और वेलिडेट पर क्लिक करें।

➢ आगे की प्रक्रिया हेतु निम्न लिंक पर क्लिक कर विडियो की सहायता ले सकते है।

https://youtu.be/m7JX_DVOVrI?t=341

1.यदि आप स्वयं ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते है तो सभी सदस्यों के आधार से मोबाईल नम्बर लिंक होना चाहिए जिस पर ओटीपी प्राप्त होगा।

2.यदि किसी सदस्य का आधार कार्ड मोबाईल नम्नर से लिंक नही है तो उस सदस्य की प्रविष्टि बायोमेट्रिक मशीन द्वारा होगी।

3.पंजीयन के समय विद्यालय का पूरा नाम लिखे।
(उदाहरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजीतपुरा / Government Senior Secondary School, Ajitpura)

4.पंजीयन की जाने वाली संस्था का भी पूरा लिखें। (School management Committee/School Development and management Committee)

5.उद्देश्य व विधान सही–सही अपलोड करें। इनकी प्रतियां निम्न है।

www.rajteachers.com